INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 6.865 (SJIF 2023)

विद्यालयों में साइबर शिक्षा की आवश्यकता एवं चुनौतियाँ
(Need and Challenges of Cyber Education in Schools)

डॉ.सुमन श्रेष्ठ
असिस्टेंट प्रोफेसर,
एन.के.बी.एम.जी.पी.जी. कॉलेज,
चन्दौसी (उत्तर प्रदेश, भारत)

कल्पना राघव
बी.एड.एम.एड. (छात्रा),
एन.के.बी.एम.जी.पी.जी. कॉलेज,
चन्दौसी (उत्तर प्रदेश, भारत)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/07.2023-79957291/IRJHIS2307012

सारांश :

वर्तमान समय में इंटरनेट ने डिजिटल क्रान्ति के रूप में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशाल रूप ले लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इंटरनेट का प्रयोग बहुतायत से हो रहा है। इंटरनेट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए जितना सकारात्मक है उतने ही इसके नकारात्मक पक्ष भी व्यक्तियों के जीवन के लिए अत्यधिक कष्टदायी हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखा, पॉर्नोग्रफी, जुआ, रंगभेद आदि विभिन्न प्रकार के मुद्दे वर्तमान समय में काफी उभरते नजर आते हैं विशेषकर किशोरों एवं युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा एवं साइबर शिक्षा की आवश्यकता वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में दिखायी देती है। विभिन्न सरकारों द्वारा किशोरों एवं युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन, लैपटॉप वितरित किये जा रहे हैं, परन्तु साइबर शिक्षा एवं साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विषयों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साइबर नैतिकता, साइबर सुरक्षा एवं साइबर शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इंटरनेट एवं तकनीकी के सकारात्मक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता कार्यक्रमों, एवं साइबर शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध–पत्र के माध्यम से शोधकर्ता द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा एवं साइबर शिक्षा की विद्यालयों में आवश्यकता पर चर्चा की जा रही है एवं शिक्षा के हितधारकों को साइबर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

मुख्य शब्द : *डिजिटल क्रान्ति, इंटरनेट, साइबर शिक्षा, साइबर सुरक्षा, साइबर नैतिकता, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखा।*

प्रस्तावना :

वर्तमान समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी ने अपना स्थान बना लिया है। इस युग में सर्वाधिक प्रयोग इंटरनेट का हो रहा है। आजकल बच्चों से लेकर बुर्जुगों तक सभी के पास स्मार्टफोन मौजूद हैं जिसके द्वारा वह इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट में सम्पूर्ण विश्व समाहित नजर आता है। प्रत्येक क्षेत्र व वर्ग के लोगों के लिए यह सूचना एवं संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है परन्तु यह भी सत्य है कि किसी भी चीज का प्रयोग बहुतायत में करने से या सही ढ़ंग से न करने पर उसके दुष्परिणाम भी होते हैं इसलिए इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए साइबर सुरक्षा का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। इस ज्ञान को हम बालकों तक शिक्षा के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। साइबर सुरक्षा को बालकों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके तथा इसके अतिरिक्त विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, खेल, सेमिनार इत्यादि के द्वारा बालकों को इसके विषय में जागरूक किया जा सकता है।

इंटरनेट का प्रयोग सर्वाधिक युवा स्तर पर ही हो रहा है इसलिए इस वर्ग को सचेत करना अत्यन्त आवश्यक है। बालक तरह—तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑनलाइन वीडियो गेम आदि का प्रयोग करते हैं और साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं और बीते कुछ वर्षों में साइबर अपराध जैसी घटनायें सामने आयी हैं उन्हें देखकर यह आवश्यक हो गया है कि बालकों को साइबर सुरक्षा के विषय में तथा इंटरनेट के सुरक्षित प्रयोग के विषय में ज्ञान प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उचित उपयोग करने के ढंग को सिखाने की नितान्त आवश्यकता है जिससे वे स्वयं को इस साइबर जगत में सुरक्षित रख पायें एवं अपने अध्ययन व मनोरंजन के लिए इसका उपयोग आसानी से कर सकें।

एमांक्वा (२०२१) ने साइबर सुरक्षा की शिक्षा विद्यालयों में देनी चाहिए पर अनुसंधान कार्य किया इन्होंनें अपने अनुसंधान में पाया कि सभी शिक्षण संस्थानों में साइबर सुरक्षा की शिक्षा देनी आवश्यक है जिससे कि लोगों को साइबर अपराधों से बचाया जा सके परन्तु इसके लिए साइबर सुरक्षा की ओर जागरूकता बहुत जरूरी है इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोग बहुत से सोशल मीडिया एप्स का प्रयोग करते हैं जैसे — फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि परन्तु उन्हें इन सभी का सुरक्षित प्रयोग करना नहीं आता और असुरक्षित प्रयोग करने के कारण वह साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं लोगों को इन अपराधों से साइबर सुरक्षा जागरूकता के द्वारा ही बचाया जा सकता है इसके लिए विद्यालयों में साइबर सुरक्षा के विषय में जानकारी देना तथा साइबर अपराध के प्रति सचेत रहने के निर्देश देकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। शोधकर्ता ने अपने शोध के द्वारा रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से जागरूकता करने का सुझाव दिया।

रहमान और अन्य (२०२०) ने अपने शोध में पाया किआजकल इंटरनेट का दौर है जहाँ प्रत्येक आयु वर्ग के लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और इसके चपेट में सबसे ज्यादा युवा आ रहे हैं इसलिए उन्हें इंटरनेट का सही से प्रयोग करना सिखाना जरूरी है। मलेशिया में २०१३ में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर अपराध के केस सामने आये जिनमें से १०९५ मलेशिया के १८ वर्ष के लड़के सम्मिलित थे इंटरनेट ने युवा वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया है इसके लिए बालकों के पाठ्यक्रम में सेमिनार, प्रतियोगिताओं आदि विभिन्न विषय में ज्ञान देना आवश्यक है इसके लिए शिक्षकों को विद्यालय में व माता—पिता को घर पर यह देखना आवश्यक है कि वह इंटरनेट का प्रयोग किस दिशा में कर रहा है। बालक गेम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू—ट्यूब आदि साइटस पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ देखते व करते हैं ऐसे में वे किसी मुसीबत में न पड़ जायें व सजगता के लिए साइबर सुरक्षा की जानकारी देना बालक को अति आवश्यक है।

एलनसारी और अन्य (२०१९) ने अपने शोध के परिणाम में पाया कि इंटरनेट पूरे विश्व को जोड़े रखने का एक नेटवर्क है जिसमें सम्पूर्ण विश्व को समायोजित करने की शक्ति है आजकल प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग करता है तो जैसे—जैसे इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है वैसे—वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है।इससे लड़ने के लिए सख्त कानून बनाये जायें। साइबर सुरक्षा जिम्मेदारी से कार्य करना माँगती है। इसके लिए वैश्विक सहभागिता और तकनीकी बदलाव किये जाने की आवश्यकता है।

लैसजक और अन्य (२०१९) ने इजराइल और स्लोवेनिया के बालकों में साइबर सुरक्षा के विषय में अध्ययन किया। इन्होंनें अपने अध्ययन में पाया कि इंटरनेट का प्रयोग विद्यार्थियों के बीच काफी बढ़ रहा है परन्तु उसके प्रयोग के साथ सुरक्षा पर ध्यान देना भी अति आवश्यक है क्योंकि यदि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया तो इंटरनेट पर मौजूद आपकी गतिविधियों व डेटा को चुराया जा सकता और उसे आपके विरोध में प्रयोग किया जा सकता है।

मोखा (२०१७) ने अपने शोध में पाया कि भारत देश में इंटरनेट का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है ऐसे में साइबर अपराध का खतरा अलग—अलग रूप में देश में बढ़ता जा रहा है जिसके लिए सभी इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं को साइबर अपराध व सुरक्षा के लिए सजग व सचेत रहने की आवश्यकता है। सरकार को इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए व अपराधी को कठोर दण्ड भी दिया जाना चाहिए इसके अलावा आम जनता को भी इंटरनेट प्रयोग करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ किसी अनजान साइट पर या किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए और यदि किसी पर शक हो तो तुरन्त कानूनी कार्यवाही भी करनी चाहिए।

अल—जनाबी और अल—शौरबाजी (२०१६) ने अध्ययन में पाया कि शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर व तकनीकी उपकरणों का प्रयोग बड़े स्तर पर हो रहा है छात्रों को विद्यालय से सम्बन्धित सभी जानकारियाँ इंटरनेट के माध्यम से ही प्रदान की जा रही है ऐसे में साइबर अपराध का खतरा और अधिक बढ़ जाता है वह न केवल कॉलेजों की जरूरी जानकारियाँ चुरा सकते हैं बल्कि वित्तीय व्यवस्था को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस सर्वे में विभिन्न लोगों से बात हुई सबने अपना—अपना पक्ष रखा परन्तु अन्ततः यह बात सामने आयी कि लोगों में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता की कमी है उन्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत है जिससे की अपने इस अनुसंधान कार्य में इन्होंने मध्य पूर्व को अपना केन्द्र बिन्दु बनाया।

मेहता और सिंह (२०१३) ने अपने अनुसंधान में पाया है कि तकनीकी को प्रयोग करने का ज्ञान व उससे होने वाले नुकसान के विषय में सचेत करने की आवश्यकता है। लोगों को साइबर सुरक्षा उसके विषय में बनाये गये कानूनों के विषय में जानकारी देनी चाहिए व उन्हें पता होना चाहिए कि इन कानूनों को वह स्वयं कैसे प्रयोग करेंगें तथा पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं अपने अनुसंधान में लेखक ने जो डाटा एकत्रित किया उसमें उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शामिल किया तत्पश्चात निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ कि पुरूषों व महिलाओं में पुरूष वर्ग साइबर सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत हैं महिलायें कम व कर्मचारी व गैर—कर्मचारी वर्ग में कर्मचारी वर्ग अधिक सचेत हैं साइबर सुरक्षा के विषय में व गैर—कर्मचारी कम सचेत हैं।

साइबर शिक्षा :

देश में इंटरनेट का प्रयोग दिन—प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ऐसे में बालकों को विद्यालय के द्वारा इंटरनेट का सुरक्षापूर्वक प्रयोग करने के लिए साइबर सुरक्षा का ज्ञान नितान्त आवश्यक है।ऑनलाइन शिक्षा के इस दौर में बालकों को साइबर ठगी, तकनीकी का ज्ञान कराना व साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ तैयार करने के लिए साइबर सुरक्षा का ज्ञान देना आवश्यक है। ऑनलाइन जॉब, कोर्सेस, भुगतान आदि के सुरक्षित प्रयोग हेतु विद्यालयों में शिक्षा देनी आवश्यक है। विद्यालय के प्रत्येक स्तर वर्ग के बालकों को साइबर सुरक्षा का ज्ञान देना चाहिए क्योंकि आजकल हर आयु वर्ग का बालक इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है। विद्यालय में शिक्षकों को तथा घर पर अभिभावकों को भी अपने बालकों को इंटरनेट प्रयोग करने से पहले जरूरी बातें बतानी चाहिए जैसे कि—किसी अनजान ऐप को न खोलना, अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ किसी से साझा न करना, पासवर्ड किसी को नहीं बताना, किसी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन बात न करना और यदि गलती से कुछ गलत हो जाये तो घर पर बताना जरूर ताकि समय रहते समस्या का समाधान खोजा जा सके।

साइबर सुरक्षा :

साइबर सुरक्षा से तात्पर्य इंटरनेट का कम्प्यूटर सिस्टम या किसी अन्य डिवाइस के द्वारा प्रयोग करते समय अपने सिस्टम व डाटा को सुरक्षा प्रदान करने से है। इंटरनेट का प्रयोग एक सुरक्षित सॉफ्टवेयर के द्वारा करना चाहिए जिससे आपका डाटा कोई चुरा न पाये कम्प्यूटर में एन्टी वायरस जरूर डलवाना चाहिए यह भी आपके

डिवाइस को हैकर्स से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। आप अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टाल करने से पूर्व उसके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तभी उसे अपने सिस्टम में इंस्टाल करें इसके लिए यदि आप साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं तो यह और अधिक लाभकारी साबित होगा। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य संग्रहित डाटा व प्रवाहित डाटा दोनों को ही सुरक्षित रखना होता है। साइबर सुरक्षा में डाटा को अलग परतों में अलग–अलग प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है जिससे वह डाटा जल्दी किसी को प्राप्त न हो पाये। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कम्पनियों को भी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए उन्हें सॉफ्टवेयर में ऐसी तकनीकों व पासवर्ड इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए जिसे जल्दी से कोई हैकर तोड़ न पाये और यदि वह इसे तोड़ भी ले तो कोई न कोई ऐसा अलार्म या साइन अवश्य होना चाहिए जिससे तत्काल पता चल सके कि सॉफ्टवेयर को खोल कर डाटा चुराने की कोशिश की गई है या चुरा लिया गया है।

दुनिया में जितने भी साइबर हमले होते हैं सभी अलग–अलग प्रकार से होते हैं जैसे–जैसे तकनीकी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है वैसे–वैसे हमलों के प्रकार भी बढ़ते जा रहे हैं हर दिन एक नया साइबर हमले का प्रकार जन्म ले रहा है परन्तु आजकल मालवेयर साइबर हमले का सबसे अधिक प्रचलित प्रकारों में से एक है।

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता :

- इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के डाटा का आदान–प्रदान किया जाता है परन्तु कुछ लोग बिना इजाजत के महत्वपूर्ण डाटा को चुरा लेते हैं ऐसे में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता नजर आती है।
- बालक गेमिंग ऐप का प्रयोग करते हैं जिस पर दिया होता है कि गेम जीतने पर उक्त राशि इनाम स्वरूप दी जायेगी और आपकी व्यक्तिगत जानकारियाँ व बैंक अकाउन्ट नम्बर माँग कर उसका गलत ढ़ंग से प्रयोग करते हैं।
- साइबर सुरक्षा में किसी भी कम्प्यूटर सिस्टम या ऐसेअन्य डिवाइसिस को यूजर की अनुमति के बिना एक्सेस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है।
- लोगों को दिनभर में बहुत से ई–मेल प्राप्त होते हैं जिनमें से कुछ में उन्हें लॉटरी, कार जीतने आदि जैसे विभिन्न प्रलोभन दिये जाते हैं जिनमें वह उनकी व्यक्तिगत जानकारियाँ मांगते हैं और वे खुशी–खुशी लालच में जानकारियाँ देते भी हैं साइबर सुरक्षा ऐसा करने से मना करती है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ किसी के साथ साझा न करें इसका प्रयोग गलत तरीके से किया जा सकता है।
- आजकल बालकों की पढ़ाईभी इंटरनेट द्वारा करायी जाने लगी है, ऐसे में माता–पिता का दायित्व है कि वह जाँच करते रहें कि उनका बालक पढ़ाई के अलावा और इंटरनेट का प्रयोग किस प्रकार कर रहा है, वह क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, उसकी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखें ताकि वह किसी गलत व्यक्ति या ऐप के सम्पर्क में आकर साइबर अपराध का शिकार न हो जाये।
- हमने देखा है कि छोटे–छोटे बच्चे भी मोबाइल का प्रयोग करना जानते हैं ऐसे में उनको समझ ही नहीं होती है कि वह फोन पर क्या कर रहे हैं और कई बार वह कुछ ऐसी ऐप्स खोल लेते हैं या कोई ऐसा गलत बटन दबा देते हैं जिससे व्यक्तिगत डाटा लीक हो जाता है तो ऐसी ऐप्स पर चाइल्ड लॉक होना आवश्यक है ताकि बालक सुरक्षित ढ़ंग से मोबाइल का प्रयोग कर सकें ।

साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ :

- प्राय: देखने में आता है कि लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है वह नयी–नयी डिजिटल चीजों को अपना तो रहें पर उनके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं।

- हमारे देश में कुशल एवं अनुभवी साइबर सुरक्षा कर्मचारियों की बहुत कमी है।
- डिजिटल संरक्षण एवं गोपनीयता को बनाये रखने के लिए सख्त कानूनों का होना अत्यन्त आवश्यक है परन्तु अभी लोगों तक इस विषय में सम्पूर्ण जानकारी का अभाव है।
- विद्यालयी पाठ्यक्रमों में भी साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रकरणों को पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है।
- सॉफ्टवेयरों का निर्माण करते समय उनमें साइबर सुरक्षा का ध्यान दिया जाना चाहिए।
- एक प्रभावित करने वाली साइबर सुरक्षा प्रणाली का विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रकार से अलग–अलग ऐप्स व सॉफ्टवेयरों पर प्रयोग करना चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता की पूर्णरूपेण पुष्टि की जा सके।
- बालकों को कम उम्र में ही मोबाइल का प्रयोग करने देना और माता–पिता का उनकी गतिविधियों पर ध्यान न देना।
- साइबर अपराध का शिकार होने पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही न करना।
- बालकों को आस–पड़ोस में हुई साइबर अपराध की घटनाओं के विषय में बताना व सचेत करना ताकि वह उस घटना से सीख लें और सर्तक रहें।
- किसी भी अपरिचित नम्बर व ई–मेल पर किसी भी लालच या दबाव में आकर अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ साझा करना भी एक बड़ी चुनौती नजर आती हैं।
- अध्यापकों के लिए विभिन्न प्रकार के साइबर मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे–सेमिनार, प्रेजेंटेशन, रिफ्रेशर कोर्स आदि का आयोजन समय पर नहीं होना।

सुझाव :

- सरकार द्वारा ऐसे शिक्षकों सम्मानित किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए नवाचारी एवं वैश्विक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराते हैं।
- साइबर जागरूकता, साइबर शिक्षा एवं इंटरनेट साक्षरता पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए।
- प्रत्येक विषय की विषयवस्तु ई–कंटेंट के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए।
- अपने मोबाइल फोन को समय–समय पर अपडेट करें।
- अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप में एंटी वायरस सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करें ताकि सिस्टम में मौजूद वायरस से अपने डिवाइस को सुरक्षित रखा जा सके।
- इंटरनेट का प्रयोग करने वाली डिवाइस पर मजबूत पासवर्ड लगायें और किसी के भी साथ साझा न करें।
- असुरक्षित वाई–फाई नेटवर्क का प्रयोग बिल्कुल भी न करें।
- विद्यालयों में शिक्षक–प्रशिक्षकों को साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों से अवगत कराया जाये।
- विद्यालय में इंटरनेट का प्रयोग करने के सभी साधन उपलब्ध कराये जायें ताकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कम्प्यूटर लैब में उदाहरण सहित सभी सम्बन्धित नियमों की जानकारी दे सकें।
- सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की उपलब्धता करानी चाहिए।
- जो शिक्षक एवं विद्यार्थी इंटरनेट का उचित प्रकार उपयोग करना नहीं जानते हैं उनके लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम समय–समय पर सरकार द्वारा कराये जाने चाहिए।

निष्कर्ष :

अत: हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि साइबर सुरक्षा के लिए विद्यालयों, अभिभावकों तथा सरकारों सभी को अपने—अपने स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है तभी एक भय मुक्त भारत की सुदृढ़ नींव रखी जा सकती है तथा डिजिटल इंडिया का सपना साकार किया जा सकता है। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए सरकार को साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित विश्वसनीय सेवायें प्रदान करनी होंगी।

सन्दर्भ :

1. Amankwa, E. (2021). Relevance of Cybersecurity Education at Pedagogy Levels in Schools. Journal of Information Security, 12, 233-249.
2. Rahman N.A.A., Sairi I. H., Zizi N. A. M. and Khalid F. (2020).The Importance of Cybersecurity Education in School. International Journal of Information and Education Technology, 10(5), 378-382.
3. Alansari, M.M., Alijazzaf, Z. M., & Sarfraz, M. (2019). On Cyber Crimes and Cyber Security.In M. Sarfraz (Ed.), Developments in Information Security and Cybernetic Wars, pp. 1-41.IGI Global, Hershey, PA, USA.doi: 10.4018/978-1-5225-8304-2.ch001.
4. Lesjak D., Zwilling M., Klein G. (2019). Cyber Crime and Cyber Security Awareness among Students: A Comparative Study in Israel and Slovenia. Issue in Information Systems, 20(1), 80-87.
5. Mokha K. A. (2017). A Study on Awareness Of Cyber Crime andSecurity. Research J. Humanities and Social Science, 8(4), 459-464.
6. Al-Janabi S. & Al-Shourbaji I. (2016).A Study of Cyber SecurityAwareness in Educational Environment in the Middle East. Journal of Information & Knowledge Management, 15(1) 1650007 (30 Pages).
7. Mehta S. & Singh V. (2013) A Study of Awareness About Cyberlawsin The Indian Society. International Journal of Computing and Business Research (IJCBR) 4(1) ISSN (Online) : 2229-6166.
8. https://www.successcds.net/hindi/essay/cyber-security-in-india-essay-in-hindi
9. https://www.amarujala.com/education/cyber-security-education-compulsory-in- ug-and-pg
10. https://techyatri.com/cyber-security-kya-hai-hindi/